लोक सभा सचिवालय

शोध एवं सूचना प्रभाग

सूचना बुलेटिन

सं. लार्डिस (ईएफ) 2016/आईबी-1 मार्च 2016

भारत में जेंडर बजटिंग: महिला सशक्तिकरण का उपाय

जेंडर बजटिंग या महिलोन्मुखी बजट

महिलोन्मुखी बजट से तात्पर्य एक ऐसे बजट से है, जिसके माध्यम से समाज में स्त्री-पुरुष पैटर्नों को समझ कर ऐसी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु धनराशि आवंटित की जाती है, जिनसे इन पैटर्नों में परिवर्तन लाकर समाज में स्त्री-पुरुष समानता स्थापित की जा सके।

जेंडर बजटिंग एक लेखांकन कार्य नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है जिसके माध्यम से यह सुनिश्चित किया जाता है कि विकास के लाभ पुरुषों के बराबर महिलाओं को भी प्राप्त हों। जेंडर बजट आयोजना में कार्यक्रम और नीति निर्माण, लक्षित वर्गों की आवश्यकताओं का आकलन, वर्तमान नीतियों और दिशा-निर्देशों की समीक्षा, संसाधनों का आवंटन, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, परिणामों का आकलन, संसाधनों की प्राथमिकताओं का पुन: निर्धारण जैसे विभिन्न चरणों में महिलाओं के परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखा जाता है।

जेंडर बजट आयोजना के अंतर्गत स्त्री-पुरुष असमानता के प्रभावों का पता लगाने तथा महिलाओं के प्रति प्रतिबद्धताओं को बजटीय प्रतिबद्धताओं के परिणत करने हेतु सरकारी बजट का आबंटन किया जाता है। इस प्रक्रिया के अंतर्गत अलग से बजट नहीं बनाया जाता, बल्कि महिलाओं की विशेष जरूरतों को पूरा करने के लिए सकारात्मक कार्यवाही का प्रावधान किया जाता है। इसमें महिलाओं के लिए संसाधनों के आवंटन से इतर जेंडर परिप्रेक्ष्य से महिलाओं को आवंटित संसाधनों के उपयोग पर नजर रखना, प्रभावों का विश्लेषण तथा सार्वजनिक व्यय और संबंधित सार्वजनिक नीतियों से लाभार्थियों की संख्या का विश्लेषण करना आदि सम्मिलित है। इस प्रकार जेंडर बजट आयोजना के अंतर्गत निम्नलिखित महत्वपूर्ण कार्यकलाप शामिल हैं—

(क) पर्याप्त संसाधनों के आवंटन तथा महिला संवेदी कार्यक्रमों के निर्माण और कार्यान्वयन के माध्यम से महिलाओं के प्रति नीतिगत प्रतिबद्धताओं और उनके लिए किए जाने वाले आवंटनों के बीच के अंतर को खत्म करना।

(ख) सार्वजनिक व्यय और नीति में महिला सरोकारों को मुख्यधारा में लाना।

(ग) सार्वजनिक व्यय, कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा नीतियों का जेंडर ऑडिट कराया जाए।

बॉक्स-1: जेंडर बजट आयोजना क्या है?

जेंडर बजट आयोजना महिलाओं को मुख्यधारा में लाने का एक साधन है। इसके अंतर्गत बजट को पूरी नीति प्रक्रिया को महिलाओं के परिप्रेक्ष्य से देखने के शुरूआती उपाय के रूप में लिया जाता है। जेंडर बजट आयोजना—

- अलग बजट नहीं है।
- महिलाओं और पुरुषों पर समान व्यय करने से संबंधित नहीं है।
- केवल महिलाओं और लड़कियों को लक्षित करके बनाए गए कार्यक्रमों से संबंधित नहीं है।
- केवल बजट तक सीमित नहीं है। इसके अंतर्गत महिलाओं के परिप्रेक्ष्य से सरकार की विभिन्न आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करना शामिल है।

भारत में जेंडर बजट आयोजना की आवश्यकता

भारत में मानव विकास संबंधी उपलब्धियां भारत की 586 मिलियन महिलाओं और लड़कियों के विकास और सशक्तिकरण पर बहुत अधिक निर्भर करती हैं, जो वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल जनसंख्या का 48.9% है। ये महिलाएं और लड़कियां न केवल देश के बहुमूल्य मानव संसाधनों का एक बड़ा हिस्सा हैं, बल्कि वे अपने आप में एक अलग व्यक्तित्व हैं और उनका सामाजिक-आर्थिक विकास ही अर्थव्यवस्था और संपूर्ण समाज के सतत विकास का आधार है। इसके अतिरिक्त, भारत के संविधान के माध्यम से देश के प्रत्येक नागरिक को समानता का मूलभूत अधिकार प्रदान किया गया है।

तथापि, वास्तविकता यह है कि भारत में अभी भी महिलाओं को संसाधनों तक पहुंच और उन पर नियंत्रण के संबंध में असमानताओं का सामना करना पड़ता है। ये असामनाताएं स्वास्थ्य, पोषण, साक्षरता, शैक्षिक उपलब्धियों, कौशल स्तरों, रोजगार के स्तरों के साथ-साथ अन्य बहुत से क्षेत्रों में भी दिखाई देती हैं। महिलाओं की दयनीय स्थिति वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निर्धारित पुरुषों की तुलना में महिलाओं के अनुपात में भी परिलक्षित होती है जो प्रति एक हजार पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं।

बॉक्स-2: जेंडर पर बल क्यों?

- महिलाएं देश की कुल जनसंख्या का लगभग 49% हैं।
- महिलाओं को सेवाओं और संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण में असमानताओं का सामना करना पड़ता है।
- महिलाओं की विशिष्ट जरूरतें हैं, जिन्हें विशेष रूप से पूरा किये जाने की आवश्यकता है।
- अधिकांश सार्वजनिक व्यय और नीतिगत सरोकार ''स्त्री-पुरुष निरपेक्ष क्षेत्रों'' में होते हैं।

सार्वजनिक मदों और सेवाओं में अपना उचित हिस्सा पाने में महिलाओं को विशेष रूप से जेंडर संबंधी अनेक बाधाओं का सामना करना पड़ता है। जब तक आयोजना और विकास की प्रक्रिया में इन बाधाओं को दूर नहीं किया जाता, तब तक पूरी संभावना है कि देश की जनसंख्या के एक बहुत बड़े हिस्से तक आर्थिक विकास के लाभ नहीं पहुंच पाएंगे। यह देश की अर्थव्यवस्था के भावी विकास के लिए उचित नहीं है। अत: महिलाओं के सशक्तिकरण में महिलोन्मुखी बजट आयोजना या जेंडर बजटिंग, जैसा कि इसे भारत में कहा जाता है, महत्वपूर्ण साधनों में से एक है। जेंडर बजटिंग का उपयोग विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता है। जैसे महिलाओं की जरूरतों की पहचान करना और उन जरूरतों को पूरा करने के लिए प्राथमिकताओं का पुन: निर्धारण और/या व्यय में वृद्धि करना; वृहद् आर्थिक नीतियों के निर्माण में महिलाओं को मुख्य धारा में लाना; आर्थिक नीतियों के निर्माण में सिविल सोसायटी की भागीदारी को सुदृढ़ करना; आर्थिक और सामाजिक नीतियों के परिणामों के बीच लिंक को बढ़ावा देना; महिलाओं के लिए किए जाने वाले सार्वजनिक व्यय और विकास संबंधी नीतिगत प्रतिबद्धताओं पर निगरानी रखना; और स्त्री-पुरुष समानता का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योगदान देना आदि।

बॉक्स-3: जेंडर बजट आयोजना के लिए पांच सूत्रीय ढांचा

चरण-1: महिलाओं की स्थिति के संबंध में स्थिति का विश्लेषण।

चरण-2: यह निर्धारित करना कि किसी विशेष क्षेत्र की नीति चरण-1 में वर्णित महिलाओं संबंधी मामलों को सुलझाने और महिला-पुरुष अंतर को कम करने के लिए कहां तक सफल हो सकती है।

चरण-3: यह निर्धारित करना कि चरण-2 में चिह्नित की गई महिला संवेदी नीतियों और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु आवंटित बजट पर्याप्त है या नहीं।

चरण-4: इस बात की निगरानी करना कि क्या धनराशि को योजना के अनुसार व्यय किया गया था, धनराशि कितनी खर्च की गई और किस पर खर्च की गई?

चरण-5: यह आकलन करना कि नीतियों/कार्यक्रमों/योजनाओं का क्या प्रभाव पड़ा और चरण-एक में उल्लिखित स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ।

जेंडर बजटिंग के माध्यम से महिला-पुरुष समानता

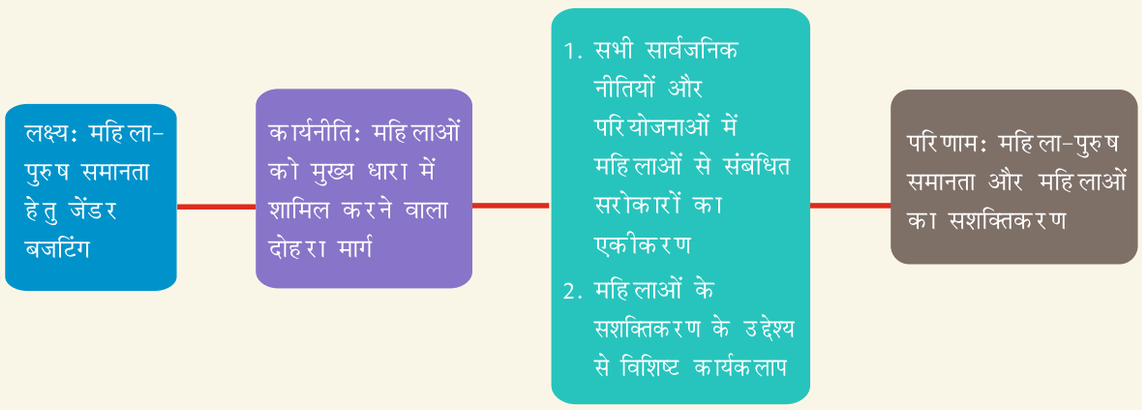

जेंडर बजटिंग और भारत की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं

पिछले कुछ वर्षों में, अनेक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन और बैठकें आयोजित की गई हैं जिनसे पूरे विश्व में महिलाओं के जीवन में परिवर्तन लाया जा सकता है। इनमें से अनेक सम्मेलनों और बैठकों में भारत सरकार सहित अन्य सरकारों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने हेतु कार्यवाही करने के लिए प्रतिबद्धता दर्शाई है। नीचे अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धताएं दी गई हैं जिनमें भारत सरकार भी एक पक्ष है:—

- महिलाओं के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव के निवारण संबंधी समझौता, जिस पर भारत सरकार ने 1980 में हस्ताक्षर किए थे।
- मानव अधिकार संबंधी विश्व सम्मेलन (1993) विएना में हुआ, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि महिलाओं के अधिकार मानव अधिकार हैं।
- जनसंख्या और विकास संबंधी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन (आईसीपीडी) (1994) कैरो में हुआ, जिसमें महिलाओं के अधिकारों और स्वास्थ्य को जनसंख्या और विकास संबंधी कार्यनीतियों के केन्द्र में रखा गया।
- महिला संबंधी चौथा विश्व सम्मेलन (1995) बीजिंग में हुआ, जिसमें सरकारों ने ''मानवजाति के हित में सभी जगहों की महिलाओं की समानता, विकास और शांति संबंधी लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए'' अपने संकल्प की घोषणा की।

- जेंडर और विकास संबंधी राष्ट्रमंडल कार्य योजना (1995), जिसमें सरकारों ने एक ऐसे विश्व के अपने विजन की घोषणा की ''जिसमें महिलाओं और पुरुषों को उनके जीवन के सभी चरणों में समान अधिकार और अवसर प्राप्त होंगे।''
- संयुक्त राष्ट्र महासभा का 23वां विशेष सत्र जून, 2000 में हुआ, जिसमें स्पष्टतया राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर बजटीय प्रक्रियाओं में महिला-पुरुष समानता के लक्ष्य पर ध्यान देने का आह्वान किया गया।
- सहस्राब्दि विकास लक्ष्य आठ हैं, जिसमें भारत सरकार भी एक हस्ताक्षरकर्ता है और इसका ''तीसरा लक्ष्य: लिंग समानता को प्रोत्साहित करना और महिला सशक्तीकरण है।''

जेंडर बजटिंग के पीछे तर्काधार

जेंडर बजटिंग के पीछे का तर्काधार समझने के लिए निम्नलिखित पहलू संगत हैं-

समानता बनाम दक्षता: जेंडर परिप्रेक्ष्य को बजटीय नीति में समाहित करने के दो आयाम हैं- समानता आयाम और दक्षता आयाम। बढ़ती हुई इस मान्यता के संदर्भ में कि असमानता की समस्याओं को बृहत् आर्थिक नीतियों के अल्प मात्रा प्रभावों से दूर नहीं किया जा सकता महिला-पुरुष असमानता संबंधी चिंताओं को बृहत् आर्थिक नीति ढांचे में शामिल करने की आवश्यकता है। महिला-पुरुष समानता अर्थव्यवस्था को नागरिकों के बीच समानता को प्रोत्साहित करने के मूल सिद्धांत के अलावा दक्षता लाभों के माध्यम से लाभान्वित कर सकती है। चूंकि महिला-पुरुष असमानता विकास की प्रक्रिया में अक्षमता लाती है, अत: दक्षता के दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है कि महिलाओं के संबंध में किए गए निवेश से समाज को लाभ हो। यदि महिलाओं के संबंध में किए गए अधिक निवेश से उनके सामाजिक स्तर में सुधार होता है तो इसे दक्षता लाभ माना जाएगा, क्योंकि यह विकास की प्रक्रिया को अधिक कुशल और परिणामोन्मुखी बनाएगा।

महिला-पुरुष के बीच सर्वांगी भेद: महिलाओं और पुरुषों में प्राय: बजटीय नीतियों के लिए भिन्न-भिन्न प्राथमिकताएं होती हैं अत: वे बाध्यताओं, विकल्पों, प्रोत्साहनों और आवश्यकताओं के संदर्भ में महिला पुरुष विभिन्नताओं के कारण अधिकांश नीतियों से अलग-अलग ढंग से प्रभावित होते हैं। महिलाओं और पुरुषों को भिन्न-भिन्न बाध्यताओं का सामना करना पड़ता है, उनकी भिन्न-भिन्न सामाजिक जिम्मेदारियां निर्धारित हैं और परिणामस्वरूप उनकी भिन्न-भिन्न सामाजिक प्राथमिकताएं हैं। घर के अंदर और बाहर महिला-पुरुष प्रतिकूल संबंधों की विरासत, महिलाओं को उनकी वैध भूमिका निभाने, अर्थव्यवस्था में योगदान देने और आर्थिक लाभों का उनका उचित हिस्सा पाने से रोकती है। अत: महिलाएं बजटीय नीतियों से अलग ढंग से प्रभावित होती हैं और उस पर पुरुषों से अलग ढंग से प्रतिक्रिया करती हैं। महिलोन्मुखी बजट अपने आप में महिला-पुरुष परिप्रेक्ष्य से महिलाओं की समस्याओं को दूर करने में काफी सहायक सिद्ध हो सकता है।

बजट में महिला-पुरुष निरपेक्षता की समस्या: महिला-पुरुष निरपेक्ष बजट बजटीय नीतियों के जेंडर विशिष्ट प्रभावों को नजरअंदाज करते हैं। सामान्यत: बजटिंग में चार घटक शामिल होते हैं: (एक) विभिन्न शीर्षों के लिए संसाधनों का बजटीय आवंटन; (दो) विभिन्न शीर्षों के संबंध में वास्तविक सरकारी परिव्यय; (तीन) इस बात का लेखा-जोखा कि एक विशिष्ट प्रयोजन हेतु संसाधनों का किस प्रकार उपयोग किया गया है (उदाहरणार्थ प्रशासनिक ऊपरी व्यय और मजदूरी तथा वेतन, संचालन और रखरखाव आदि); और (चार) भावी परिणामों की प्राप्ति के लिए उपयोग किए गए संसाधनों की प्रभावकारिता का मूल्यांकन। जेंडर बजटिंग में इन चार घटकों पर महिलाओं को लाभार्थियों के रूप में रखकर विचार किया जाता है।

बॉक्स-4: महिला, पुरुष निरपेक्ष और महिला पुरुष संवेदनशील क्षेत्रों के बीच क्या अंतर है?

रक्षा, ऊर्जा, व्यापार, परिवहन, वाणिज्य आदि जैसे कुछ क्षेत्रों को उनकी सार्वभौमिक पहुंच के कारण महिला-पुरुष निरपेक्ष क्षेत्र के रूप में देखा जाता है और इन क्षेत्रों के व्यय और राजस्व को जेंडर के आधार पर नहीं विभाजित किया जा सकता। परंपरागत रूप से, महिला पुरुष संवेदनशील क्षेत्रों को ऐसे क्षेत्र के रूप में देखा जाता है जहां लक्षित लाभार्थी सुस्पष्ट होते हैं और वे मुख्यत: महिलाएं होती हैं। उदाहरणार्थ, स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रमिक, ग्रामीण विकास आदि।

पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना: जेंडर बजटिंग, बजटीय आवंटन में महिलाओं के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और तदनुसार ऐसे आवंटनों के उपयोग में जवाबदेही को बढ़ाता है। भारत जैसे पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव की भावना को देखते हुए, स्त्री-पुरुष अनुपात संबंधी प्रतिकूल प्रवृत्ति संबंधी प्रमाण और अन्य सामाजिक-आर्थिक सूचक यह दर्शाते हैं कि यह भेदभाव देश के अनेक भागों में काफी अधिक है। अब उचित समय है कि सरकार के बजटों में इस बात के स्पष्ट संकेत दिए जाएं कि विशेष रूप से महिलाओं के लाभार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की जा रही है।

भारत में जेंडर बजटिंग-संक्षिप्त ऐतिहासिक परिदृश्य

भारत में वर्ष 1974 में महिलाओं की स्थिति संबंधी समिति (तत्कालीन शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय) द्वारा ''समानता की ओर'' विषय पर एक प्रतिवेदन प्रकाशित किए जाने के बाद भारत सरकार को देश में महिलाओं की वास्तविक स्थिति का आभास हुआ और तत्पश्चात् सरकार ने उनकी आर्थिक, सामाजिक स्थिति में सुधार लाने के लिए अनेक उपाय किए। इसी दौरान, 1975 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा महिलाओं से संबंधित प्रथम सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसके पश्चात् संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1980, 1985 और 1995 में महिलाओं से संबंधित तीन सम्मेलनों का आयोजन किया गया, जिनमें राष्ट्रों की सरकारों ने महिलाओं के विकास और लिंग समानता हेतु तंत्र विकसित करने की प्रतिज्ञा की। भारत सरकार ने भी समय-समय पर समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए अनेक पहल की हैं।

भारत में गत दो दशकों से लैंगिक समानता की समस्या पर ध्यान देने तथा महिलाओं संबंधी मुद्दों का समाधान करने की एक पद्धति के रूप में जेंडर बजटिंग एक माध्यम के रूप में अपनी सार्थकता सिद्ध कर रहा है। यद्यपि, संसाधनों के आवंटन में सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) से लिंग संवेदनशीलता पर बल देना आरंभ किया गया, जबकि महिलाओं हेतु विभिन्न लाभार्थी उन्मुख योजनाओं की निगरानी की संकल्पना को मूर्त रूप दिया गया, नौवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002) के अंतर्गत 1997-98 में ''महिला घटक योजना'' लागू किए जाने के साथ महिलाओं हेतु निधियों के औपचारिक निर्धारण की शुरुआत की गई। दसवीं योजना (2002-2007) के दौरान, स्त्री-पुरुष असमानता के प्रभाव का पता लगाने और लिंग संबंधी प्रतिबद्धताओं को बजटीय प्रतिबद्धताओं में बदलने के लिए सरकार के बजट को विभाजित करने की प्रक्रिया को जारी रखकर जेंडर बजटिंग करने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को और अधिक बल मिला। एक कदम आगे बढ़ाते हुए, वित्त मंत्री ने 2004-05 के अपने बजट में सरकार के सभी मंत्रालयों में जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ (जीबीसी) की स्थापना करने के आदेश दिए और बजट आंकड़ों को इस प्रकार प्रस्तुत करने की आवश्यकता पर बल दिया जिससे बजटीय आवंटनों से लैंगिक संवेदनशीलता स्पष्ट हो सके।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-2012) में, जेंडर बजट की प्रतिबद्धता को दोहराया गया और स्पष्ट रूप से यह कहा गया कि महिला-पुरुष समानता के लिए सभी मंत्रालयों और विभागों में नीतियों और योजनाओं में पर्याप्त प्रावधान किए जाने की आवश्यकता है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-2017) में, सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों को शामिल करके जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाने पर बल दिया गया।

बॉक्स-5: भारत में जेंडर बजटिंग-क्रमिक विकास

सातवीं योजना (1985-1990): महिलाओं के लिए जारी निधियों की मात्रा/लाभों का आकलन करने के लिए निगरानी हेतु 27 महत्वपूर्ण महिला केन्द्रित योजनाओं की पहचान की गई।

आठवीं योजना (1992-1997): सामान्य विकास संबंधी क्षेत्रों से महिला केन्द्रित कार्यक्रमों को निधियों का निश्चित प्रवाह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

नौवीं योजना (1997-2002): महिला घटक योजना (डब्ल्यूसीपी) तैयार की गई-निधियों के 30% भाग को सभी महिला संबंधी क्षेत्रों के लिए निर्धारित किए जाने की मांग की गई।

दसवीं योजना (2002-2007): डब्ल्यूसीपी की संकल्पना और जेंडर बजटिंग को संबद्ध करने का लक्ष्य रखा गया।

ग्यारहवीं योजना (2007-2012): सभी मंत्रालयों और विभागों की नीतियों और योजनाओं में महिला-पुरुष समानता को उचित स्थान देने पर बल दिया गया।

बारहवीं योजना (2012-2017): जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया को और सुदृढ़ बनाना और उसमें सभी मंत्रालयों, विभागों और राज्य सरकारों को शामिल करना।

वर्तमान में, महिला और बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) जेंडर बजटिंग हेतु एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करते हुए उसे राष्ट्रीय और राज्य के स्तर पर अग्रसर करने हेतु अनेक पहल कर रहा है। मंत्रालय, देश में जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया का अनुसरण करने के लिए त्रिस्तरीय रणनीति अपना रहा है:-

- सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों में जेंडर बजटिंग संरचनाओं/तंत्रों की स्थापना पर बल देना और उसका समर्थन करना;
- आंतरिक और बाहरी क्षमताओं में वृद्धि करना तथा नीतियों/योजनाओं/कार्यक्रमों को महिला-उन्मुखी बनाने के लिए क्षमता विकसित करना; और
- वर्तमान कार्यक्रमों की जेंडर ऑडिटिंग की प्रक्रिया आरंभ करना, जिसके परिणामस्वरूप खामियों को दूर करने और सेवा प्रदान करने वाले तंत्र को मजबूत बनाने में सहायता मिलेगी।

राज्यों में जेंडर बजटिंग

कई राज्यों ने सफलतापूर्वक जेंडर बजटिंग को कार्यान्वित किया है। कर्नाटक, केरल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अनेक अन्य राज्यों ने खामियों को दूर करने के लिए जेंडर बजटिंग को संस्थागत बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

बॉक्स-6: राज्यों में जेंडर बजटिंग-अपनाने का वर्ष

पहले अपनाने वाले राज्य	बाद में अपनाने वाले राज्य	हाल में अपनाने वाले राज्य
ओडिशा (2004-05)	मध्य प्रदेश (2007-08)	दादरा और नगर हवेली (2011-12)
त्रिपुरा (2005-06)	जम्मू और कश्मीर (2007-08)	राजस्थान (2011-12)
उत्तर प्रदेश (2005-06)	अरुणाचल प्रदेश (2007-08)	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (2012-13)
कर्नाटक (2006-07)	छत्तीसगढ़ (2007-08)	महाराष्ट्र (2013-14)
गुजरात (2006-07)	उत्तराखंड (2007-08)	
	हिमाचल प्रदेश (2008-09)	
	बिहार (2008-09)	
	केरल (2008-09)	
	नागालैंड (2009-10)	

जेंडर बजटिंग हेतु संरचना और तंत्र की स्थापना करना

जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया को संस्थागत बनाने के लिए, विभिन्न मंत्रालयों में 8 मार्च, 2007 से जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठों (जीबीसी) का गठन किया गया है, जिनका उद्देश्य संबंधित मंत्रालय की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रभावित करना और उनमें इस प्रकार परिवर्तन करना है, जिनसे लैंगिक असमानता की समस्या का समाधान हो सके, महिला-पुरुष समानता और विकास को बढ़ावा मिले और तदनुसार मंत्रालय के बजट के माध्यम से सार्वजनिक संसाधनों का आवंटन और प्रबंधन सुनिश्चित हो। ये प्रकोष्ठ महिला-पुरुष परिप्रेक्ष्य से विद्यमान सरकारी कार्यक्रमों और योजनाओं का मूल्यांकन करने और वर्तमान महिला-पुरुष भेद को दूर करने के लिए हस्तक्षेप के नए क्षेत्रों की पहचान करने के लिए आवश्यक हैं। जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ में सामान्यत: संबंधित मंत्रालयों के योजना, नीति, समन्वय, बजट और लेखा प्रभाग के वरिष्ठ/मध्य स्तर के अधिकारियों का संबद्ध समूह शामिल होता है।

बॉक्स-7: जेंडर बजट प्रकोष्ठ क्या है?

जेंडर बजट प्रकोष्ठ स्त्री-पुरुष विश्लेषण को सरकार के बजट में एकीकृत करने को सुकर बनाने की एक संस्थागत प्रणाली है, ताकि स्त्री-पुरुष असमानता का सामना और स्त्री-पुरुष समानता को बढ़ावा दिया जा सके। भारत सरकार के स्तर पर, जेंडर बजटिंग का कार्य करने के लिए 57 मंत्रालयों और विभागों में जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ गठित कर लिए गए हैं।

महिला और बाल विकास मंत्रालय जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठों (जीबीसी) की स्थापना के लिए अन्य मंत्रालयों के साथ निरंतर और सक्रिय रूप से बातचीत कर रहा है। अभी तक, 57 मंत्रालय/विभाग जेंडर बजटिंग पहलों के समन्वयन के लिए केन्द्र बिंदु के रूप में कार्य करने के लिए जेंडर बजटिंग प्रकोष्ठ स्थापित कर चुके हैं। महिला और बाल विकास मंत्रालय इन प्रकोष्ठों के कौशल और क्षमताओं के विकास की दिशा में कार्य कर रहा है, ताकि ये प्रकोष्ठ महिलाओं को अपने विभागों की नीतियों, कार्यक्रमों एवं बजटों की मुख्य धारा में जेंडर को शामिल करने के कार्य में अधिक सक्रिय भूमिका निभा सकें।

बॉक्स-8: जेंडर बजटिंग में विभिन्न हितधारक कौन हैं?

जेंडर बजटिंग में बड़ी संख्या में व्यक्तियों और संस्थाओं को शामिल किया जा सकता है। उनकी भिन्न-भिन्न भूमिकाएं हैं और उन्हें भिन्न-भिन्न कार्यकलाप करने हैं। उनमें से कुछ व्यक्ति और संस्थाएं इस प्रकार हैं-

- वित्त मंत्रालय (केन्द्र और राज्य दोनों स्तर पर)
- महिला और बाल विकास मंत्रालय/सामाजिक कल्याण विभाग
- भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक/स्थानीय लेखापरीक्षा विभाग
- क्षेत्र विशेष से संबंधित मंत्रालय जैसे स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम, कृषि, ऊर्जा, सड़क परिवहन और राजमार्ग, शहरी विकास, इत्यादि
- अनुसंधानकर्ता, अर्थशास्त्री और सांख्यिकीविद
- नागरिक समाज संगठन
- संसदविद, दोनों सदनों की बजट संबंधी समितियां और जिला तथा उपजिला स्तरों के अन्य जनप्रतिनिधि
- मीडिया
- विकास में सहभागी/दानकर्ता इत्यादि।

जेंडर बजट विवरण

देश में जेंडर बजटिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम, केन्द्रीय बजट दस्तावेजों के व्यय बजट वॉल्यूम 1 के भाग के रूप में जेंडर बजट विवरण (विवरण 20 के नाम से विख्यात) को शामिल किया जाना था। इस विवरण के अंतर्गत, जेंडर संबंधी बजटीय आवंटन दो भागों में वर्गीकृत जेंडर बजटिंग विवरण में दर्शाये जाते हैं। विवरण के पहले भाग (भाग क) में महिलाओं के लिए 100% आवंटन करने वाली स्कीमें शामिल हैं, जबकि विवरण के दूसरे भाग (भाग ख) में महिलाओं के लिए 30% से 99% तक आवंटन करने वाले कार्यक्रम/स्कीमें शामिल हैं। विगत वर्षों के दौरान, जेंडर बजट विवरण में दर्शाए अनुसार महिलाओं हेतु आवंटन निम्नलिखित तालिका में दिया गया है।

सारणी: जेंडर बजट विवरण 2005-06 से 2015-16 (बजट अनुमान) में दर्शाए अनुसार महिलाओं हेतु आवंटन

वर्ष	मंत्रालयों/विभागों की संख्या	शामिल, मांगों की संख्या	जेंडर बजट की कुल मात्रा (बजट अनुमान) (करोड़ रुपये में)	कुल बजट के प्रतिशत के रूप में
2005-06	9	10	14,379	2.79%
2006-07	18	24	28,737	5.09%
2007-08	27	33	31,178	4.5%
2008-09	27	33	27,662	3.68%
2009-10	28	33	56,858	5.57%
2010-11	28	33	67,750	6.11%
2011-12	29	34	78,251	6.22%
2012-13	29	34	88,143	5.91%
2013-14	30	35	97,134	5.83%
2014-15	36	39	98,030	5.46%
2015-16 (बजट अनुमान)	35	35	79,258	4.46%

स्रोत: भारत सरकार, महिला और बाल विकास मंत्रालय, जेंडर बजटिंग: हैंडबुक, अक्तूबर, 2015

ग्राफ-1: केन्द्रीय बजट [2005-06 से 2015-16 (ब.अ.)] में विशेष रूप से महिलाओं के लिए बजटीय आवंटन में शामिल मंत्रालयों/विभागों की संख्या और मांगों की संख्या

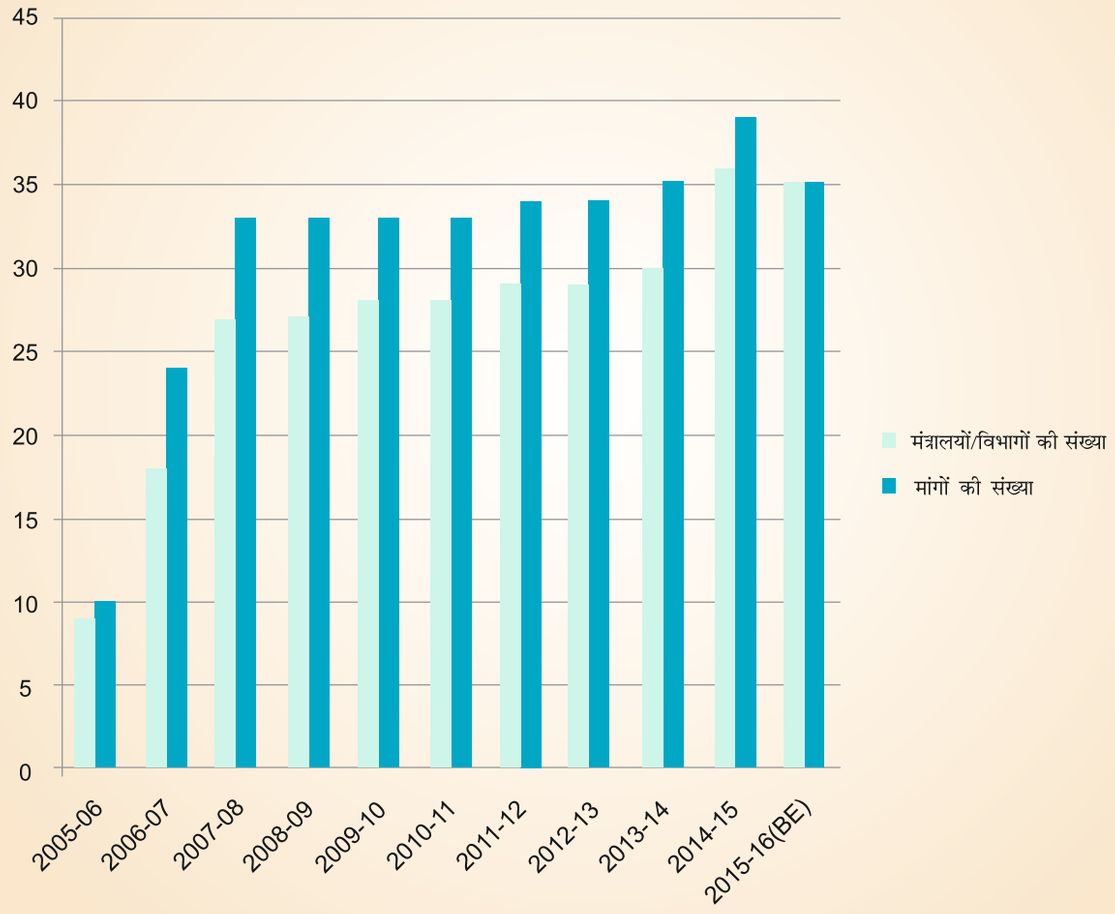

ग्राफ-2: केन्द्रीय बजट [2005-06 से 2015-16 तक (बजट अनुमान)] में विशेष रूप से महिलाओं के लिए बजटीय आवंटन (करोड़ रुपये में) का परिमाण

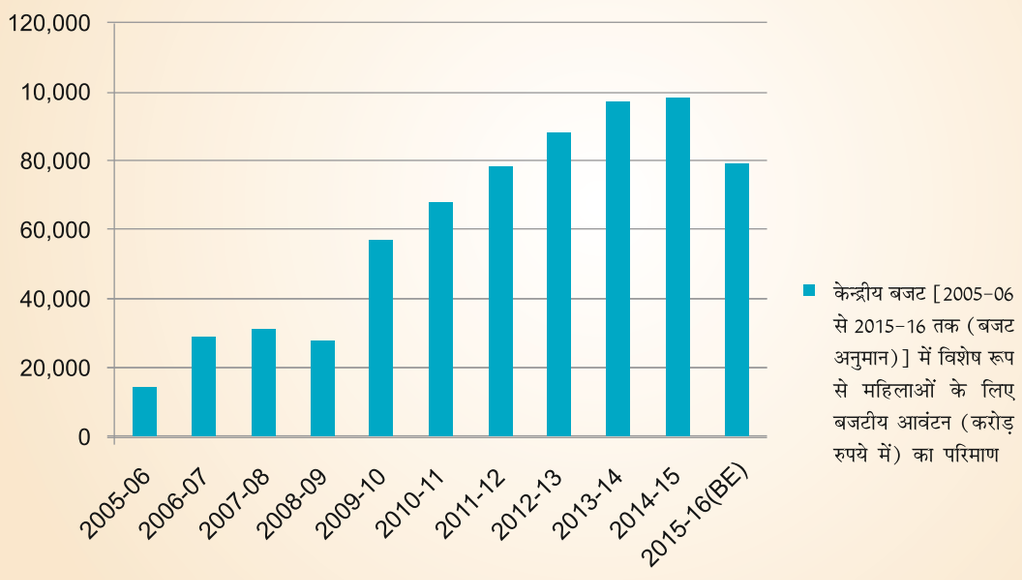

ग्राफ-3: केन्द्रीय बजट [2005-06 से 2015-16 तक (बजट अनुमान)] में विशेष रूप से महिलाओं के लिए बजटीय आवंटन का प्रतिशत

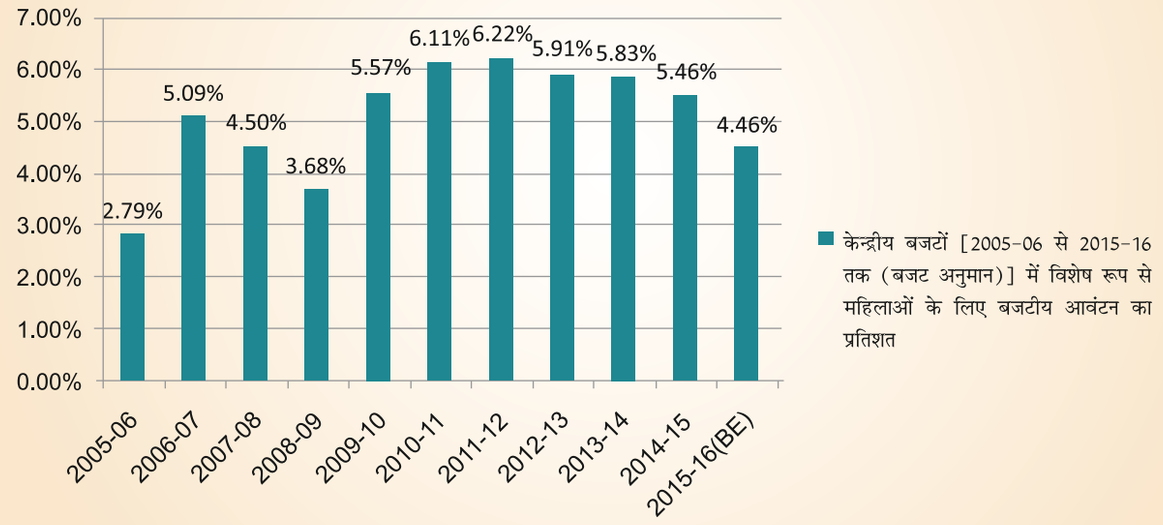

ग्राफ-4: केन्द्रीय बजट [2005-06 से 2015-16 तक (बजट अनुमान)] में विशेष रूप से महिलाओं के लिए बजटीय आवंटन की प्रवृत्ति

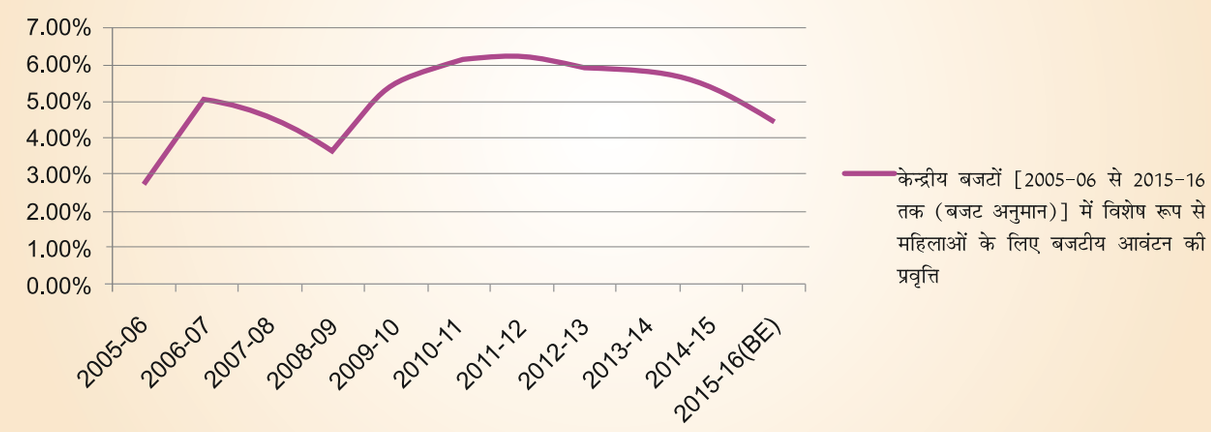

क्षमता विकास पहल

जहां वित्त मंत्रालय केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में जेंडर बजटिंग प्रक्रिया शुरू करने में सहायक की भूमिका निभा रहा है, वहीं महिला और बाल विकास मंत्रालय, नोडल एजेंसी के रूप में प्रक्रिया का समर्थन कर रहा है। इस उद्देश्य हेतु महिला और बाल विकास मंत्रालय अनेक प्रशिक्षणों, कार्यशालाओं, व्यक्तिगत बातचीत/चर्चाओं का आयोजन करने तथा स्रोत सामग्री का विकास करने में लगा हुआ है। जेंडर बजटिंग हेतु प्रशिक्षण/कार्यशालाएं, क्षमता विकास, अनुसंधान सर्वेक्षण इत्यादि आयोजित करने के लिए वर्ष 2008 में एक योजना स्कीम आरंभ की गई थी। स्कीम के अंतर्गत, मंत्रालय अन्य बातों के साथ-साथ कई कार्यक्रम चलाता है और साथ ही जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया को सुदृढ़ करने और मुख्य धारा में लाने के लिए केन्द्रीय/राज्य सरकारी एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

गत कुछ वर्षों में एक सकारात्मक प्रवृत्ति यह देखी गई है कि वित्त मंत्रालय द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए कि बजट निर्माण प्रक्रिया में महिलाओं की आवाज भी सुनी जा सके, बजट-पूर्व विचार-विमर्श सभा का भी आयोजन किया गया है। मुख्य संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने और लिंग-भेद की समस्या का समाधान करने संबंधी योजनाओं के लिए पर्याप्त निवेश करने पर जोर दिया गया है।

महिला-पुरुष निरपेक्ष मंत्रालयों के साथ सहयोग

गत वर्षों के दौरान जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया के माध्यम से जेंडर को मुख्य धारा में लाने के लिए पद्धतियां और तंत्र तैयार करके तथा मुख्य कार्मिकों का क्षमता-विकास करके प्रक्रिया को संस्थागत बनाने पर विशेष बल दिया गया। इस संदर्भ में, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने शहरी

विकास मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऊर्जा मंत्रालय, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय जैसे महिला-पुरुष निरपेक्ष मंत्रालयों को बेहतर आयोजना और स्रोत प्राथमिकता के लिए उनकी स्कीमों और कार्यक्रमों में महिलाओं को अधिक महत्व देने में मदद की है।

जेंडर बजटिंग के समक्ष चुनौतियां

योजनाओं के दौरान जेंडर बजटिंग स्कीम द्वारा प्राप्त उपलब्धियों का समेकन और उन्हें बनाए रखने में प्रमुख चुनौतियां हैं—नियमित निगरानी, सीमित प्रवर्तन और जवाबदेही, फील्ड स्तर पर आयोजना और कार्यान्वयन में महिलाओं की सीमित प्रभावी भागीदारी, क्षमता विकास की कमी, सामाजिक-आर्थिक बाधाओं का प्रचलन, विशेष रूप से महिलाओं के लिए योजनाओं पर निर्भरता (हालांकि पोषण, शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण, इत्यादि के लिए विशेष रूप से महिलाओं के लिए कई स्कीमें तैयार और कार्यान्वित की गई हैं, फिर भी एक विशिष्ट आयाम पर बल देने वाली ये योजनाएं सर्वांगीण सशक्तिकरण के लिए एक साधन के रूप में प्रभावी रूप से कार्य नहीं करती हैं)।

निष्कर्ष

वास्तव में आमूल-चूल परिवर्तन लाने के लिए, सरकार को पूरी ईमानदारी से जेंडर बजटिंग की प्रक्रिया पर ध्यान देने की आवश्यकता होगी। इसका अर्थ होगा कि जेंडर बजटिंग को सभी मंत्रालयों/विभागों में प्रभावी रूप से मुख्यधारा में लाना सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण तंत्र को संस्थागत रूप देने के साथ ही पर्याप्त निधियों का आबंटन करना। संगत क्षमता विकास कार्यक्रमों को समुचित और व्यापक आधार कार्यान्वयन सुसाध्य बनाने के लिए अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है। यह व्यापक प्रशिक्षण आवश्यकताओं को कुशल और प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए विकेन्द्रित/स्थानीय प्रशिक्षण क्षमताओं के विकास को आवश्यक बना देगा। अच्छी तरह से डिजाइन किया गया, सुनियोजित और समुचित समग्र प्रशिक्षण पहल समग्र जेंडर बजटिंग को प्राप्त करने की ओर एक कदम है।

संदर्भ

1. महिला और बाल विकास मंत्रालय, वार्षिक रिपोर्ट (2014-15)
2. महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जेंडर बजटिंग हैंड बुक, (2015)
3. महिला और बाल विकास मंत्रालय, ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कार्यनिष्पादन—जेंडर बजटिंग स्कीम का मूल्यांकन
4. वित्त मंत्रालय (व्यय विभाग), चार्टर्ड ऑफ जेंडर बजट सैल्स (मार्च, 2007)
5. राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान, जेंडर बजटिंग इन इंडिया (फरवरी, 2003)
6. महिला और बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार, जेंडर बजटिंग, (प्राय: पूछे गए प्रश्न)

यह बुलेटिन लोक सभा सचिवालय के आर्थिक और वित्तीय कार्य स्कंध द्वारा महिला और बाल विकास मंत्रालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर संसद सदस्यों की जानकारी और उपयोग हेतु तैयार किया गया है।